अपील सूचना अधिकार संख्या 21/2022(GCMS 2022/67)(आरटीआई संख्या 212787675562061) श्री भगवान पुत्र श्रीचन्द्र सिंह, वार्ड नं. 22, गुरुद्वारा सिंह सभा, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 99838.–36120) बनाम उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.03.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्रीभगवान स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.01.2022 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने एवं वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्रीभगवान ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.01.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

> वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2008 तक डी.पी.ई.पी. (एस.एस.ए.) द्वारा रात्रिकालिन आवासीय कैम्प एक से दो माह की अवधि के रायसिंहनगर 1 एल.पी.एम.,9 एल.पी.एम.,32 एम.एल.,6 एफ.डी., 6 जे.के. एम. डाबला के क्रम में आर पी श्री सुरेन्द्र अवस्थी, प्रवीण कुमार, महेश शर्मा, रामभज सिंह, भूपेन्द्र सिंह, चन्द्र नागपाल, बृजेश पाठक इन्द्राज सहारण, बाल मुकंद, शीशपाल, हनुमान लीमा की शिकायत होने पर आप द्वारा जांच की गई थी। इस [illegible] की गई शिकायत/जांच रिपोर्ट/उक्त कर्मचारियों के [illegible] कार्यवाही की प्रमाणित फोटो प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:24 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक सू.का.अ./22/1758 दिनांक 29.04.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त सूचनाऐं जिस प्रारूप में आप द्वारा चाही गई थी कार्यालय में संधारित नहीं है जो आरटीआई की धारा 2(च) व 7(9) के तहत देय नहीं है। राजस्थानसूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पाग्र किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मल, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र आदेश, लॉगबुक, संविदा रिपोर्ट, कागज पत्र नमूने, माडल आंकडो संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सूचना का अधिकार/22/1844 दिनांक 18.02.2022 द्वारा अवगत करवा दिया गया था। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रारम्भिक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रायसिंहनगर से प्राप्त कर सकता है। इस कार्यालय स्तर पर प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का रिकॉर्ड उपलब्ध नही है।

संलग्न : उक्तानुसार।

-sd-
(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:24 IST
Reason: SelfAttested

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने उक्तानुसार प्रार्थी को सूचित किया गया है सूचना का अधिकार

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल रिकार्ड हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible].2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:24 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर